अपील/आरटीआई/51/2025

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

श्री खूबीराम शर्मा निवासी 674, मुखर्जी नगर शिव मंदिर वाली गली भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर

......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 26.09.2025**

श्री खूबीराम शर्मा निवासी 674, मुखर्जी नगर शिव मंदिर वाली गली भरतपुर ने एक अपील लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने आर.टी.आई. नियमों के तहत जरिये प्रार्थना पत्र तारीखी 22.7.2025 से लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/766 दिनांक 04.09.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत लोक सूचना अधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/1043 दिनांक 24.9.2025 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी के आरटीआई प्रार्थना पत्र तारीखी 22.7.25 से दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी जो प्रार्थी को नहीं दी गई है, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से चाही गई सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि चाही गई सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/959 दिनांक 26.8.2025 से प्रेषित की जा चुकी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत सूचना का प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर भरतपुर को प्रस्तुत किया गया था, चूँकि प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना एसडीओ कार्यालय भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत प्रार्थी

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

का मूल प्रार्थना पत्र सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक सामान्य / आरटीआई / (102) / 2025 / 4929 दिनांक 22.07.2025 से अग्रेषित किया गया है। नियमों में दिये गये प्रावधान के तहत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का दायित्व था कि वे प्रार्थी / अपीलार्थी को मुताविक प्रार्थना चाही गई सूचना उपलब्ध करवाते परन्तु यहाँ ऐसा नहीं किया जाकर एस.डी.ओ. भरतपुर ने जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई / 2025 / 959 दिनांक 26.8.2025 से जिला कलक्टर, भरतपुर को सूचित किया गया है। इससे यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी / प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम अपील पेश की गई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी, अपने आर.टी.आई प्रार्थना पत्र तारीखी 22.7.25 में चाही गई सूचना प्राप्त करने का हकदार रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अन्दर 15 दिवस निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को एवं लोक सूचना अधिकारी उखण्ड अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर